

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 379/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 02.10.2026

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने अर्पित किए श्रद्धा-सुमन

□ क्षेत्राधिकारी सदर/लाइन सहायक पुलिस अधीक्षक ईश्वर लाल गुज्जर के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा चलाया गया स्वच्छता अभियान।

□ महात्मा गांधी जी के सत्य, अहिंसा एवं स्वच्छता तथा लाल बहादुर शास्त्री जी के सादगी, कर्तव्यनिष्ठा एवं राष्ट्रसेवा के आदर्शों को किया गया स्मरण।

□ उत्कृष्ट एवं सराहनीय सेवाओं के लिए चयनित पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उत्कृष्ट सेवा पदक एवं पुरस्कार प्रदान कर किया गया सम्मानित।

02 अक्टूबर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती एवं अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस तथा पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर आजमगढ़ पुलिस द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए।

कार्यक्रम की शुरुआत क्षेत्राधिकारी सदर/लाइन सहायक पुलिस अधीक्षक ईश्वर लाल गुज्जर के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा पुलिस लाइन परिसर में विशेष स्वच्छता अभियान चलाकर की गई। इस दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा परिसर की साफ-सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया गया।

इसके उपरांत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन द्वारा महात्मा गांधी जी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा-सुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात पंकज श्रीवास्तव, सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर ईश्वर लाल गुज्जर, क्षेत्राधिकारी आंकिक अजय प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी क्राइम कौस्तुभ त्रिपाठी, प्रतिसार निरीक्षक रजनीकान्त ओझा सहित अन्य पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा महात्मा गांधी जी के सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह एवं स्वच्छता तथा पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के सादगी, कर्तव्यनिष्ठा एवं राष्ट्रसेवा के आदर्शों को स्मरण करते हुए पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों का पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया गया।

इस अवसर पर उपस्थित पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सत्य, अहिंसा, कर्तव्यनिष्ठा, राष्ट्रसेवा एवं जनसेवा के आदर्शों पर चलने की शपथ दिलाई गई।

आजमगढ़ पुलिस की ओर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर शत्-शत् नमन एवं विनम्र श्रद्धांजलि।

थाना- गम्भीरपुर, जनपद- आजमगढ़

जान से मारने की नियत से हमला करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 20.08.2026 को वादी ध्यानचन्द पुत्र बलई प्रजापति निवासी ग्राम परशुरामपुर, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दी गई कि दिनांक 19.08.2026 की रात्रि करीब 20:00 बजे बच्चों को डांटने की बात को लेकर उसके बड़े भाई जयराम प्रजापति एवं भतीजे सचिन प्रजापति द्वारा वादी व उसके परिवार के साथ गाली-गलौज की गई। मना करने पर सुग्रीव प्रजापति द्वारा बाँस के मोटे डण्डे से वादी एवं उसकी पुत्री तमन्ना के सिर पर जान से मारने की नियत से हमला कर दिया गया, जिससे दोनों को गंभीर चोटें आईं।

वादी की तहरीर के आधार पर थाना गम्भीरपुर पर मु0अ0सं0 209/2026 धारा 109(1)/115(2)/352/351(3)/117(2) बीएनएस बनाम 1. सुग्रीव प्रजापति 2. जयराम प्रजापति 3. सचिन प्रजापति निवासीगण ग्राम परशुरामपुर, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 02.10.2026 को उ0नि0 सूरज चौधरी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त सुग्रीव प्रजापति पुत्र जयराम प्रजापति निवासी ग्राम परशुरामपुर, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ को कस्बा परशुरामपुर मोड़ से समय करीब 08:45 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. सुग्रीव प्रजापति पुत्र जयराम प्रजापति, निवासी ग्राम परशुरामपुर, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 40 वर्ष। पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 209/2026 धारा 109(1)/115(2)/352/351(3)/117(2) बीएनएस, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सूरज चौधरी, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।
2. का0 धीरज सिंह, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।
3. का0 सोनू यादव, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।

जनपद-आजमगढ़

परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई किरण की पहल से एक परिवार में हुआ समझौता

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक यातायात/नोडल अधिकारी महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के पर्यवेक्षण में दिनांक 02.10.2026 को थाना कोतवाली परिसर स्थित परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई किरण की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में 05 पत्रावलियों में दोनों पक्षों को फोन/नोटिस के माध्यम से सूचित कर मिडिएशन हेतु बुलाया गया, जिसमें 04 पत्रावलियों में दोनों पक्ष उपस्थित हुए। अथक प्रयास एवं समझाने-बुझाने के उपरान्त 01 प्रकरण में दोनों पक्षों के मध्य समझौता कराया गया। 01 पत्रावली माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण बन्द की गई।

समझौता हुए प्रकरण में पति-पत्नी के मध्य पारिवारिक विवाद के कारण पत्नी के मायके चले जाने एवं वापस न आने की स्थिति उत्पन्न हुई थी। परिवार परामर्श प्रकोष्ठ के प्रयास से दोनों पक्षों के मध्य आपसी सहमति एवं समझौता कराया गया।

समझौता हुआ प्रकरण:

कुल पत्रावलियां – 05

दोनों पक्ष उपस्थित – 04

समझौते – 01

न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण बन्द – 01

इस अवसर पर उ0नि0 महेन्द्र प्रसाद तिवारी, उ0नि0 सत्यनारायण यादव, आरक्षी जितेन्द्र कुमार साह एवं आरक्षी सुनील कुमार गुप्ता उपस्थित रहे।

नई किरण प्रोजेक्ट का उद्देश्य पारिवारिक विवादों का आपसी संवाद एवं समझौते के माध्यम से समाधान कर परिवारों को पुनः एक सूत्र में जोड़ने का प्रयास करना है।

थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 02.10.2026

☐ मारपीट व जान से मारने की धमकी देने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

☐ घटना में प्रयुक्त लोहे का राड अभियुक्त की निशानदेही पर बरामद।

दिनांक 30.09.2026 को वादी श्री पवन सिंह पुत्र नागेंद्र सिंह, निवासी ग्राम सपनहर रुद्रपुर, थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना मेंहनगर पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त उमेश राजभर पुत्र बुद्धू राजभर, निवासी ग्राम सपनहर रुद्रपुर, थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़ द्वारा गुड्डी राजभर पत्नी बेचन राजभर एवं बेचन राजभर पुत्र कुदू राजभर के घर में घुसकर गाली-गलौज करते हुए लाठी व लोहे के राड से मारपीट की गयी तथा जान से मारने की धमकी दी गयी। घटना में दोनों घायलों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। तहरीर के आधार पर थाना मेंहनगर पर मु0अ0सं0-337/2026 धारा 109(1), 352, 351(3) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित की गयी।

वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु की जा रही कार्रवाई के क्रम में दिनांक 02.10.2026 को उ0नि0 तुषार त्रिपाठी मय हमराह का0 अजय राय एवं का0 आलोक सिंह द्वारा मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त उमेश राजभर पुत्र बुद्धू राजभर, उम्र करीब 28 वर्ष को राजघाट पुलिया, थाना मेंहनगर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद लोहे का राड बरामद किया गया।

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0-171/2021 धारा 363/366/376 भादवि0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट, थाना रानी की सराय तथा वर्तमान मु0अ0सं0-337/2026 धारा 109(1), 352, 351(3) बीएनएस, थाना मेंहनगर में अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 तुषार त्रिपाठी मय हमराह का0 अजय राय एवं का0 आलोक सिंह, थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़।

